-:निर्णय:-

दिनांक 06.10.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीबद्ध एवं प्रमाणिक पता शीर्षक वाद पत्र में अंकित किया गया है।

यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम चक 13 एमएमके के खाता संख्या 70/39 के पत्थर नम्बर 117/202 (22) किला नम्बर 6/1/228, 6/2/.025 गै.मु. रास्ता, 15/1/.228, 5/2/.025 गै.मु. रास्ता, 16/1/228, 16/2/.025 गै.मु. रास्ता, 25/1/.228. 25/2/.025 गै. रास्ता, पत्थर नम्बर 117/203 (31) किला नम्बर 5/1/202, 5/2/.026 गै.मु.रास्ता, 5/3/. 25 गै.मु.खाला. 6/1/228, 6/2/.025, 15/1/228, 15/2/.025 गै.मु.रास्ता, पत्थर नम्बर 18/202 (23) किला नम्बर 11 ता 13, 18 ता 23, पत्थर नम्बर 118/203 किला नम्बर /1 ता 4/1 प्रत्येक .228, 1/2 ता 4/2 प्रत्येक 025 गै.मु.खाला. 7 ता 13, 18/1 ता 20/1 त्येक .228 हैक्टेयर, 18/2 ता 20/2 प्रत्येक .025 हैक्टेयर गै.मु.खाला, पत्थर नम्बर 120/203 28) किला नम्बर 6/1/.228, 6/2/.025 गै.मु.खाला. 7. 12, 13, 14, 15/1 ता 16/1 त्येक .228 हैक्टेयर, 15/2, 16/2 प्रत्येक .025 गै.मु.खाला, 17 ता 19, 22 ता 24, 5/1/.228, 25/2/.025, पत्थर नम्बर 120/204 (37) किला नम्बर 3, 4, 5/1/.228, 5/2/. 25, पत्थर नम्बर 121/203 (27) किला नम्बर 9 ता 12, 18 ता 23 व पत्थर नम्बर 21/204 (38) किला नम्बर 1 ता 3, 8, 9, 13 कुल तादादी 15.939 हैक्टेयर कृषि भूमि जस्व अभिलेख में संयुक्त रूप से दर्ज है। उक्त कृषि भूमि में वादी का 1044/15939 हिस्सा र्थात 1.044 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है।

यह कि उक्त खाता में सम्वत् 2075-2078 के राजस्व अभिलेख में पृथ्वीराज प्रतिवादी ख्या 12, 14 व 15 क्रमशः दौलतराम, पृथ्वीराज व प्रहलाद पुत्रगण सहीराम जो कि तीनों ीकी भाई हैं के नाम 3.794 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज थी अर्थात प्रत्येक की .265-1.265 हैक्टेयर कृषि भूमि थी तथा इसके अलावा सम्वत् 2071-2074 में एक खातेदार मकुमार पुत्र मनफूल की .472 हेक्टेयर की कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज थी जिसका अपने ईयों के साथ घराघरू बंटवारा के अनुसार राजस्व अभिलेख में बजरिये डिक्री इन्तकाल संख्या 14 दिनांक 25.06.2015 को .426 हेक्टेयर भूमि प्राप्त हुई तथा कालान्तर में एक अन्य डिक्री रामकुमार पुत्र रजीराम द्वारा अपनी .426 हैक्टेयर कृषि भूमि अपने भाई रामप्रताप पुत्र मनफूल दी गई जिसका अमलदरामद भी राजस्व अभिलेख में इन्तकाल संख्या 350 दिनांक 07.09. 016 को हो चुका था तथा रामकुमार का नाम कलमजन किया जा चुका था तथा इसके अलावा क जमाबंदी में खातेदार प्रतिवादी संख्या 11 जसविन्द्र सिंह पुत्र गुरजंट सिंह व प्रतिवादी संख्या 8 बलजीत कौर पत्नी पूर्ण सिंह जो कि दोनों परस्पर एक ही परिवार के थे, के द्वारा पूर्व में 7 घा कृषि भूमि क्रय की थी, लेकिन वरवक्त इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 11 जसविन्द्र सिंह के नाम . 961 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 18 बलजीत कौर के नाम .708 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज चली आ रही थी।

(10)

यह कि वर्तमान में राजस्व अभिलेख को आनलाइन किया गया जिसमें उक्त समस्त खाता पवादित खाता की श्रेणी में आ गया जबकि इससे पूर्व पृथ्वीराज, दौलतराम व प्रहलाद पुत्रगण हीराम प्रत्येक के नाम 1.265 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज थी जो आनलाइन के मय केवल मात्र .506 हैक्टेयर सहबन से लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज हुई तथा रामकुमार पुत्र मनफूल सके द्वारा अपना समस्त हिस्सा अपने भाई को देने के उपरांत पूर्व की जमाबंदी में नाम लमजन हो जाने के बावजूद भी नई आनलाइन जमाबंदी में पुनः 426/15939 हिस्सा दर्ज हो या तथा प्रतिवादी संख्या 11 जसविन्द्रसिंह पुत्र गुरजंट सिंह के .961 हैक्टेयर कृषि भूमि ही दर्ज ई जबकि उसके कब्जा काश्त में .985 हैक्टेयर कृषि भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 18 बलजीत र के नाम .708 हैक्टेयर दर्ज हुई है जबकि बलजीत कौर के हिस्सा में तथा कब्जा काश्त में 0. 59 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है।

यह कि उक्त आनलाईन के दौरान ज़मांबंदी में हुई उक्त लिपिकीय त्रुटिवश हिस्सा कसी दर्ज जाने के कारण उक्त खाता अपवादित खाता की श्रेणी में आ गया है जिस कारण पक्षकारान को री असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उक्त खाता के खातेदारान द्वारा ना तो राज्य सरकार रा किसी योजना का लाभ प्राप्त किया जा रहा है व ना ही उक्त कृषि भूमि को किसी प्रकार से न्तरण किया जा रहा है व ना ही कृषि ऋण का उपयोग उपभोग कर पा रहे हैं। उक्त खाता पवादित होने से वादी के अधिकारों पर कुठराघात हो रहा है इस कारण वादी इस आशय की षणा प्राप्त करने का अधिकारी व दावेदार है कि प्रतिवादी संख्या 14 पृथ्वीराज पुत्र सहीराम के म दर्ज .506 हैक्टेयर कृषि भूमि के स्थान पर 1.265 हैक्टेयर कृषि भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 जसविन्द्र सिंह पुत्र गुरजंट सिंह के नाम .961 हैक्टेयर कृषि भूमि के स्थान पर .985 हैक्टेयर षि भूमि, प्रतिवादी संख्या 18 बलजीत कौर के नाम दर्ज .708 हैक्टेयर कृषि भूमि के स्थान पर 759 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज करवाने व उक्त खाता में रामकुमार पुत्र मनफूल जिसके नाम .426 क्टेयर कृषि भूमि गलत रूप से दर्ज चली आ रही है, का नाम विलोपित किया जाकर राजस्व भिलेख में उक्तानुसार अमलदरामद किया जावे।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे उपरोक्त खाता को दुरुस्त करवाकर मलदरामद करवा लेंवे लेकिन प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया यही वाद कारण है।

यह कि वाद पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार की है जो 2/- रूपये के यशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका से डिक्री फरमाया जाये-

क) कि घोषणा फरमायी जाये कि प्रतिवादी संख्या 14 पृथ्वीराज पुत्र सहीराम के नाम दर्ज .506 क्टेयर कृषि भूमि के स्थान पर 1.265 हैक्टेयर कृषि भूमि व प्रतिवादी संख्या 11 जसविन्द्र सिंह पुत्र गुरजंट सिंह के नाम .961 हैक्टेयर कृषि भूमि के स्थान पर .985 हैक्टेयर कृषि भूमि, तिवादी संख्या 18 बलजीत कौर के नाम दर्ज .708 हैक्टेयर कृषि भूमि के स्थान पर .759 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज करवाने व उक्त खाता में रामकुमार पुत्र मनफूल जिसके नाम .426 हैक्टेयर कृषि भूमि गलत रूप से दर्ज चली आ रही है, का नाम विलोपित किया जाकर राजस्व अभिलेख में नुसार अमलदरामद किया जावे।

ख) कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

ग) कि अन्य कोई दादरसी करीने इन्साफ हो तो अता फरमाई जावे।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 5, 6, 9, 10, 11/1 ता 11/3, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 29, 31, 32, 34, 35 की ओर से अधिवक्ता गुलाब सिंह उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1, 7, 8, 13,

9, 30, 33, 36, 41 ता 44 की ओर से अधिवक्ता विपिन स्वामी उपस्थित। प्रतिवादी सं. 20, 7, 28 की ओर से अधिवक्ता हरमनप्रीत सिंह उपस्थित। प्रतिवादी सं. 2 ता 4 की ओर से धिवक्ता खुशप्रीत सिंह उपस्थित रहे। प्रतिवादी सं. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 7 19, 20, 26 ता 30, 33 ता 36, 41 ता 44 ने जवाब इकबाल पेश कर दावा डिक्री किये ने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 2 ता 4, 9/1 ता 9/2, 11/1 ता 11/3, 14, 18, 21 23, 31, 32, ने जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश किया। खातेदार रामकुमार के वारिसान प्रतिवादी 41 ता 44 ने जवाब पेश कर खाता सं. 70/39 के क्र.स. 23 पर दर्ज रामकुमार पुत्र नफूल राम का नाम कलमजन करवाने में सहमति जाहिर की है। वाद पत्र का कोई विरोध नही ने से तनकीयात कायम नही की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिन्होने दौराने बहस निवेदन या कि वाद पत्र मुताबिक वाद पत्र डिक्री किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस भयपक्ष पर मनन किया गया। उभय पक्ष द्वारा दावा व प्रतिदावा डिक्री किए जाने का निवेदन या। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादी एवं प्रतिदावा स्वीकार कर डिक्री किया ना उचित प्रतीत होता है।

-:<u>क्रियात्मक आदेश</u>:-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है किः- चक 13 एमएमके खाता 70/39 में दर्ज प्रतिवादी संख्या 14 पृथ्वीराज पुत्र सहीराम के नाम दर्ज .506 हैक्टेयर कृषि मि के स्थान पर 1.265 हैक्टेयर कृषि भूमि व प्रतिवादी संख्या 11 जसविन्द्र सिंह पुत्र गुरजंट ह के नाम .961 हैक्टेयर कृषि भूमि के स्थान पर .985 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज कर प्रतिवादी 11/1 ता 11/3 के नाम दर्ज की जावे, प्रतिवादी संख्या 18 बलजीत कौर के नाम दर्ज .708 टेयर कृषि भूमि के स्थान पर .759 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज की जावे व उक्त खाता से रामकुमार मनफूल का नाम कलमजन किया जावे। खातेदार ओमप्रकाश पुत्र मामराज के नाम दर्ज 2. 6 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी सं. 3, 4 ब.हि.ब. दर्ज की जावे। खातेदार गोमती देवी पत्नी दौलतराम नाम दर्ज 1.012 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी सं. 9/1, 9/2 के नाम ब.हि.ब. दर्ज की जावे। तेदार मनीराम पुत्र भोजाराम के नाम दर्ज 0.057 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी सं. 21 ता 25 के म ब.हि.ब. दर्ज की जावे। खातेदार संतराम पुत्र उम्मेद कुमार के नाम दर्ज 0.671 हैक्टेयर भूमि तिवादी सं. 31, 32 के नाम ब.हि.ब. दर्ज कर इसी अनुसार खाता दुरुस्ती की जावे।

पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि ई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त देशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु. र खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन रेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया कर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोट:- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ